

तारीख
दुबम

S.O. Am R. B.M. 32582

दुबम पर कायंवाही रूप दानियवस्त नज

RAJ-D-30/18 राजेन्द्रपुर / पन्ड्या/र/र/र

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
दुबम की तामील
में जारी हुए

14/01/19

नमाल उमय यश अनुपालित प्रकरण
हमारे द्वारा उमय यश का बिल, पन्ड्या
के रेकर्ड का डवलोकन कर मानन/डिया
तो यह पाया कि प्रकरण में डापि
व्यापार ने रेस्पो. प्रतवेदि द्वारा पेश
शुदा आदेश-7 निमा-11 जावतादिवनी
के आवेदन को स्वीकार कर अपी./वादी
का वाद दि. 18/1/18 को खारिज कर
दिया। अपी. द्वारा पेश शुदा दफा-5
जावतादिवनी के आवेदन एवं करण्डत
सपथपन के आधार पर अपाद कण्डोन
काजाकर दि. 8.6.18 को पेश शुदा
होपाल द्वारा वादी अपी. खवणाअग्रहण
की जाती है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि डापि.
व्यापार द्वारा अपी./वादी के वाद को
रेस्पो./प्रति द्वारा पेश शुदा प्रा-पन
आदेश-7 निमा-11 के आधार पर
"रेसज्युडिकेला" मानते हुए वाद खारिज
कीया है। वस्तुतः रेसज्युडिकेला तथ्य
व विधि का किरित बिन्दु होता है
तथा यह मा स्पष्ट होता है कि
पूर्व वाद स्पष्ट निषेधाज्ञा का है जो
"Not-Press" आधार पर मरिस्तारित
हुआ है, जबकि वर्तमान वाद को जमानती
का है इन परिस्थितियों में जबकि प्रथम
दुबमा वाद हेतुक पुथक है तथा
रेसज्युडिकेला विधि एवं तथ्य का किरित
बिन्दु है डापि. व्यापार द्वारा अपी./
वादी के वाद को पूर्ववत् स्तर

क

तारीख
हुकम

So. Cu RJA 3492

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जा

• RAJ-D-30/18 हुकम पर कार्यवाही मध्य प्रतिशिवलस जज

राज-प्रभुमाला-चन्द्रोपनिषद्

पर ही विधि विरुद्ध मानक रखा जा
 किया जाता विधिक रूप से उचित नहीं
 है। तदनुसार अधि. न्याया. को
 नि.दि. 18/1/18 द्वारा ही किया जाकर
 प्रकरण अधि. न्याया. को प्राप्त पेशित
 कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण
 में अग्रियमकरी को सुचित कर,
 दावा
 जवाब प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया
 अनुसरण करते हुए सुनवाई कर
 निर्णय पारित करने पराकरान्
 अधि. न्याया. मे. दि. 11.3.19 को
 उपस्थित होने परावली बाद दारवला
 प्रेरुल सुमार लोक, नम्बर से का
 हो आदेश सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 उदयपुर (राज.)